# कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

## सामग्री प्रबंधन विभाग

### विक्रेता पंजीकरण

1.0 सही वक्रेता का चयन ( वश्वसनीय वक्रेता) सामग्री प्रबंधन के उद्देश्यों में से एक है। अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में फर्म का पंजीकरण फर्मों की क्षमता सह क्षमता से सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद कया जाता है और इसे अनुमोदित वक्रेता की सूची में शा मल कया जाता है। फर्मों के कार्य निष्पादन के आधार पर समय-समय पर सूची अद्यतन की जाएगी और जो फर्मस अ वश्वसनीय साबित होंगे उन्हें बाहर कया जाएगा।

2.0 आईआरएस द्वारा सं वदा की शर्तें सामग्री आपूर्ति के लए लागू होंगी और ये कोंकण रेलवे की वेबसाइट www.konkanrailway.com पर उपलब्ध है। सं वदा की वशेष शर्तें और अन्य सं वदा कानून समय-समय पर लागू होंगे। वक्रेताओं को सलाह दी जाती है क वे वक्रेता पंजीकरण से पहले इसे पढ़ें।

**3.0** पंजीकरण के लए मानदंड

1.जो फर्म भारत या वदेश में स्थित है और वह व्यवसाय के वनिर्माण, स्टो कंग या भंडार वपणन में हैं वही कोंकण रेलवे के साथ पंजीकरण के लए पात्र हैं बशर्ते क वे निर्धारित वक्रेता पंजीकरण नीति का पूरा पालन करती हैं।

2. जो फ़र्म रु1लाख से अ धक मूल्य के आदेश हा सल करती हैं फर्मों को निरपवाद रूप से एक निर्माता या उनका अ धकृत एजेंट होना चाहिए।

3. फर्म के पास रेल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी वभागों और प्रतिष्ठित प्रा. ल मटेड फर्मों द्वारा दिए गए आदेशों के संतोषजनक निष्पादन के साथ पछले वत्तीय वर्ष के दौरान कम से कम रु.20 लाख की बिक्री का कारोबार कया होना चाहिए।

4. जोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों/डी.जी.एस.एंड डी के साथ एक ही व्यापार समूह/मद है जिसके लए वे पंजीकृत हैं तो वे अपने आप पंजीकरण के लए पात्र हैं।

5. एन.एस.आई.सी.के साथ एस.एस.आई.इकाइयां पंजीकृत है और उनके पास पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय हैं जिसके लए वे पंजीकृत हैं तो वे अपने-आप पंजीकृत होंगे।

6. फर्म के पास बिक्री कर/एक्साइज ड्यूटी/पैन नंबर होना चाहिए।

7. उत्पादककर्ता के पास गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों के साथ पर्याप्त मशीनरी और प्लांट होना चाहिए। उनके पास आईएसओ-9000 वैध प्रमाणपत्र का अ धकार होना चाहिए।

8. फर्म आ थर्क रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। वे 2 वर्षों के लए वैध डजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र III बी का अ धकारी होना चाहिए।

**4.0** खरीद के लए वक्रेता पंजीकरण नीति –

कोंकण रेलवे पर अन्य रेलों की तुलना में सामग्री की आवश्यकता बहुत कम है जैसा क रो लंग स्टॉक के सभी प्रमुख शेडूयल जिस रेलवे का रो लंग स्टॉक है उन्हीं के वर्कशाप में कार्यान्वित कए जाते हैं जब क कोंकण रेलवे द्वारा केवल सेकंडरी रख-रखाव कया जाता है और कोंकण रेलवे पर कोई निर्माण गति व ध नहीं है। इसके अलावा कोंकण रेलवे में वक्रेताओं की अनुमोदित सूची (निय मत आधार पर पंजीकृत) से बल्क के रूप में खरीद प्रतिबं धत है जिसे वर्ष में एक बार/दो बार नोडल एजें सयों द्वारा आर.डी.एस.ओ., डी.एल.डब्ल्यू., आई.सी.एफ.आदि जैसे प्रका शत कया जाता है। इस प्रकार कोंकण रेलवे नोडल एजें सयों की वस्तुओं को छोड़कर मदों के लए फर्मों के पंजीकरण का कार्य शुरू करेगा। इस प्रकार खरीद के लए अपनाई गई वक्रेता पंजीकरण नीति निम्नानुसार है –

1) नोडल एजें सयों द्वारा जारी अनुमोदित सूची में शा मल मद -

नोडल एजें सयों द्वारा अनुमोदित वक्रेता के सभी ववे चत और सभी संबं धत महत्वपूर्ण मदों को शा मल करते हैं-

- ट्रैक रखरखाव के लए ट्रैक फटिंग और उपकरण आवश्यक है।
- डीजल इंजनों, को चंग और वैगन आइटम।
- सग्न लंग एवं दूरसंचार आइटम।
- वद्युत इंजनों और ट्रेन प्रकाश आइटम।
- कोच, वैगन, पुलों और सामान्य प्रयोजन के लए पेंट्स
- तेल और लुबरिकंट

i) ट्रैक, कोच, वैगन, एस एंड टी, वद्युत, तेल और लुबरिकंट के लए आर.डी.एस.ओ./लखनऊ एवं वैगनों, पुलों और के लए पेंट तथा सामान्य प्रयोजनों के लए नोडल एजेंसी हैं।

ii) आवश्यक प्रणाली के रूप में पेंट सहित को चंग आइटम के अनुमोदन स्रोतों के लए आई.सी.एफ. एक नोडल एजेंसी है।

iii) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल इलेक्ट्रिक लोको स्पीयर्स के लए नोडल एजेंसी है।

नोडल एजें सयों द्वारा जारी वक्रेता सू चयों को उनकी वेबसाइट पर निम्नानुसार देखा जा सकता है:

• आर.डी.एस.ओ. वेबसाइट: www.rdso.gov.in.

• आई.सी.एफ. वेबसाइट: www.icf.gov.in

• डी.एल.डब्ल्यू. वेबसाइट: www.diesellocoworks.com

जो इच्छित वक्रेता ववे चत वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, ले कन अभी तक नोडल एजें सयों के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे नोडल एजें सयों के पास पहुंच कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लए प्र क्रया नोडल एजें सयों की वेबसाइटों पर देखी जा सकती है।

2) अन्य मदों के लए (नोडल एजें सयों द्वारा आइटम में शा मल नहीं)

क्षेत्रीय रेलवे में कंपनियों के व शष्ट 4 डजीट ट्रेड समूहों के लए पंजीकृत हैं जब क व शष्ट मदों के लए कंपनियों के डी.जी.एस.एंड डी/एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीकृत हैं। नोडल एजें सयों (4 डजीट ट्रेड समूह और 8 डजीट का पी.एल.नंबर के साथ) द्वारा मदों की सूची जिसकी खरीद अनुमोदित स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से की जानी है वह KRCL वेबसाइट (www.konkanrail way.com) पर फर्म के मार्गदर्शन के लए है। KRCL वेबसाइट पर प्रद र्शत आइटम्स के लए ही कंपनियों को रजिस्टर करेगा. पंजीकरण प्र क्रया निम्नानुसार है –

i) ऑटोमैटिक पंजीकरण ( संगल पाइंट पंजीकरण)

फर्म स्वतः KRCL के साथ पंजीकृत हैं जिन मदों के लए वे पंजीकृत हैं -

• क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों

• डी.जी.एस.एंड डी

• एन.एस.आई.सी. के साथ पंजीकृत एस.एस.आई.यूनीट (आम तौर पर पंजीकरण 2 साल के लए वैध है)

# कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि जहां आपूर्ति के स्रोत नोडल एजेंसियों द्वारा अनुमोदित नहीं हैं वे संबंधित रेलवे से संपर्क करें जिसके पास क्षेत्राधिकार है जहां फर्म का कार्पोरेट कार्यालय स्थित है। अपना पंजीकरण उस रेलवे के साथ करवाएं। केवल संबंधित रेलवे के साथ फर्म के पंजीकृत होने पर अगर वे कोंकण रेलवे के साथ व्यापार करने के इच्छुक हैं, वे उनका अनुरोध पत्र प्रारूप (ए) के (डाउनलोड फार्म पर वेबसाइट पर उपलब्ध है) विवरण के साथ रेलवे द्वारा उनके साथ पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करके भेज सकते हैं। इसी तरह एनएसआईसी के साथ एस.एस.आई.यूनीट या डी.जी.एस.एंड डी के साथ पंजीकृत है और यदि वे कोंकण रेलवे के साथ व्यापार करने के इच्छुक हैं तो वे उनका अनुरोध पत्र एन.एस.आई.सी.Àडी. जी.एस.एंड डी से अपने पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रारूप (ए) में संलग्न करके विवरण भेज सकते हैं। पंजीकरण के विवरण के साथ अनुरोध पत्र को एक इलेक्ट्रॉनिक फार्म में एक पीडीएफ फाइल में, कंपनी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जा सकता है और cos@konkanrailway.com को मेल भेज सकते है। हार्ड कॉपी भी पंजीकृत करके डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। हार्ड कॉपी की रसीद मिलने पर ई-मेल द्वारा आम तौर पर 2 हफ्तों के भीतर भेजी जानी चाहिए और आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जो फर्म द्वारा देखी जा सकती है। अनुरोध की जांच की जाएगी और यदि आदेश विचार योग्य होगा तो विक्रेता (सीमित निविदा पैनल) की अनुमोदित सूची में नाम शामिल किया जाएगा जिन मदों के लिए वे रेलवे/एन.एस.आई.सी./जी.एस.एंड डी के लाभ पंजीकृत हैं वही मुद्रा सीमा और वैधता अवधि रखी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया आम तौर पर 3 महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए बशर्ते कि पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- फर्म से कोई शुल्क या आवेदन फार्म की कीमत नहीं ली जाएगी जो पहले से ही एन.एस.आई.सी./डी.जी.एस.एंड डी/रेल के साथ पंजीकृत हैं।
- हालांकि, बुलेटिन निविदा शुरू होने पर लागत वसूली जाएगी।
- फर्म केवल उन्हीं मदों के लिए पंजीकृत है जो वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।

ii) के.आर. मार्ग के फर्म-

यदि फर्म का कॉर्पोरेट कार्यालय के.आर.मार्ग (कोंकण रेलवे क्षेत्र पर रोहा से मंगलोर तक) पर स्थित है और KRCL को सामग्री की आपूर्ति करने में रुचि रखते हैं और पंजीकरण के मानदंडों को पूरा करते हैं वे अपना अनुरोध पूर्ण विवरण और प्रारूप (ए) (डाउनलोड के रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध है) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, एक पीडीएफ फाइल में कंपनी के लेटरहेड पर भेज सकते हैं और cos@konkanrailway.gov.in पर मेल करें। फर्म स्पष्ट रूप से व्यापार समूह/जिन मदों के लिए पंजीकरण किया है इसे दर्शाना चाहिए। हार्ड कॉपी भी

रू.1000 /-(वापस नहीं कया जाएगा) पंजीकरण शुल्क के साथ एफ.ए.एंड सी.ए.ओ/KRCL, बेलापुर, नवी मुंबई के नाम पर डमांड ड्राफ्ट के रूप में पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। हार्ड कॉपी की रसीद मलने पर ई-मेल द्वारा आम तौर पर 2 हफ्तों के भीतर भेजी जानी चाहिए और आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जो फर्म द्वारा देखी जा सकती है।

हार्ड कॉपी के साथ पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी। यदि फर्म रू.10 लाख से अ धक आदेश क्रयान्वित करने में सक्षम है और पंजीकरण मापदंड संतोषजनक है,उनके यूनीट का निरीक्षण पंजीकरण से पहले कया जा सकता है। यदि शुरू में पंजीकरण के लए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कए हैं तो उन्हें बुलाया जाएगा।

यदि आवेदन सही पाया जाता है वक्रेता (सी मत नि वदा पैनल) के नाम के साथ की अनुमोदित सूची में शा मल कया जा सकता है नाम के 2 वर्ष की प्रारं भक वैधता व धवत आइटम/मुद्रा सीमा के व्यापार समूह, जिसके लए पंजीकरण दी जाती है। केवल वही फर्म को अनुमोदित कया जाएगा जो आमतौर पर KRCL द्वारा आवश्यक मदों के साथ डील कर रहे हैं।

पंजीकरण की प्र क्रया आम तौर पर तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी बशर्ते फर्म द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कए गए हैं। एक बार पंजीकरण की पुष्टि होने पर इन पंजीकृत फर्मों से प्राप्त नि वदा में आम तौर पर कोई भेदभाव नहीं कया जाएगा जब तक क व शष्ट कारण मौजूद नहीं हैं।

5.0 फर्मों के ग्रेडेशन -

फर्म व शष्ट व्यापार समूह/मद व धवत के तहत फर्म के प्रत्येक वर्ग के लए मौद्रिक सीमा तय करने के लए पंजीकृत की जाती।

| श्रेणी | मौद्रिक सीमा (खरीद आदेशों को क्रयान्वित करने की क्षमता) |
|---|---|
| ए | 40 लाख रू. से अ धक |
| बी | 10 लाख रू.से 40 लाख रू. के बीच |
| सी | 05 लाख रू.से 10 लाख रू. के बीच |
| डी | 1 लाख रू.से 5 लाख रू. के बीच |
| ई | 1 लाख रू. तक |

- मौद्रिक सीमा तय करने के लए अपनाए गए पहलू निम्नानुसार है –
    - प्लांट और मशीनरी
    - एन.एस.आई.सी.पंजीकरण
    - बैंकर्स के रिपोर्ट
    - तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते से वत्तीय जानकारी
    - उत्पादन क्षमता
    - पछले 3 वर्षों में इसी तरह व्यापार समूह के लए निष्पादित आदेश के मूल्य।

**6.0** पंजीकरण के लाभ

- जब बुलेटिन नि वदाएं मुद्रित फॉर्म में आवश्यक सामग्री के साथ प्रका शत की जाती है तब इसे पंजीकृत कंपनियों को भेजा जाता है।
- पंजीकृत व्यापार समूहों/मदों हेतु वनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के लए .एम.डी./एस.डी. माफ की जाती है।
- अन्य रेलवे के साथ स्वत:पंजीकरण।
- फर्म मौद्रिक सीमा से अ धक के लए या अन्य मदों के समूहों के लए प्रथम दृष्टिया पात्र होने पर जमा सुरक्षा लेकर आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

7.0 वक्रेता मूल्यांकन:

व्यापार समूह/आइटम वार 3 वर्ष की अव ध में प्रस्तुत खरीद आदेशों पर मूल्यांकन आधारित है। आगे शर्तों में यह शा मल है क वक्रेता मूल्यांकन 40,000 /- रुपये से कम खरीद आदेशों के लए आव धकतानुसार साल में एक बार लागू नहीं होने चाहिए। कोंकण रेलवे में खरीद प्र क्रया भाग लेने वाले वक्रेताओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्न ल खत चार प्रमुख मानकों पर कया जा सकता है।

<u>गुणवत्ता और ड लवरी</u> : वर्तमान में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन व्यक्तिपरक आधार पर कया जाएगा। मामलों बार-बार वलंब होने की स्थिति खराब स्थिति दर्शाएगी। अस्वीकृति को गंभीरता से लया जा सकता है। अस्वीकृति के आधार पर या अस्वीकृति के मामले दोहराने पर वक्रेता रेटिंग पर प्रतिकूल असर होगा। खरीद आदेश का कार्यान्वयन न होने पर इसे प्रतिकूल निष्पादन मानते इसको डफ़ॉल्ट रजिस्टर में दर्ज कया जाएगा।

क्रय अ धकारी व्दारा खरीद फ़ाइल पर डफ़ॉल्ट टिप्पणी/प्रतिकूल कार्य निष्पादन के लए स्पष्ट आदेश रिकॉर्ड करने चाहिए। फर्म लगातार कोटिंग करता रहा और आदेश प्राप्त नहीं कया तो इसे खराब कार्य निष्पादन के रूप में माना जाएगा।

8.0 अनुमोदित आपूर्तिकर्ता का नवीकरण

के.आर. मार्ग पर प्रारं भक फर्मों का पंजीकरण दो साल की अवधी के लए कया जाता है और उसके बाद पंजीकरण का नवीकरण फर्म के अनुरोध पर फर्म द्वारा पछले कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रस्तुत कया जाता है या कोंकण रेलवे के पास वक्रेता के मूल्यांकन के बाद उपलब्ध डेटा से कया जाएगा। यदि फर्म अन्य रेलवे के साथ पंजीकृत है तो यह पंजीकृत वक्रेता की जिम्मेदारी है क वे अपना पंजीकरण पहले से ही करा लें और कोंकण रेलवे के पास उनके पंजीकरण के नवीकरण के लए सत्या पत नवीकरण की प्रति प्रस्तुत करेगा। नवीकरण अव ध 3 साल के लए या अन्य एजें सयों को प्रदान की गई नवीकरण की अव ध होगी।

नवीकरण के आधार पर अनुमोदित वक्रेता की एक सूची अ धमानतः कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी और इसे वेबसाइट पर अपलोड कया जाएगा।

9.0 डी-पंजीकरण/पंजीकरण हटाना

भंडार नियंत्रक द्वारा कसी भी निम्न ल खत कारणों से फर्म को डी पंजीकृत कया जा सकता है

- फर्म के तकनीकी-वा णज्यिक कार्यनिष्पादन लंबे समय के लए उनपर आदेश प्रस्तुत करने के बाद लगातार असंतोषजनक पाए जाने पर।
- फर्म कसी भी कारण से वैध खरीद आदेश में सामग्री की आपूर्ति करने में वफल रहने पर।
- फर्म लगातार अस्पष्ट और भ्रामक ऑफर प्रदान करता है या वैधता से पहले ऑफर वापस लेता है।
- फर्म कसी भी अनैतिक वा णज्यिक व्यवहार को अपनाता है।
- फर्म के नवीकरण के लए आवश्यक समय पर आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में वफल रहता है।
- फर्म जो कार्टेल में बोली लगाता है और कार्टेल गठन में संदेह होने पर भारत के (सी.सी.आई.), नई दिल्ली को सू चत कया जा सकता है।

10.0 ब्लैक लिस्टिंग

एक पंजीकृत फर्म एक सीमित अवधि या अनिश्चित अवधि के लिए किसी भी कारणों से ब्लैक लिस्ट में जा सकती हैं

- यदि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि रूप में गैर-आचरण का दोषी पाया जाने पर।
- यदि मालिकों, भागीदारों, फर्म के कर्मचारियों आदि के व्यापार के प्रति वफादारी सहित व्यवहार या सुरक्षा कारणों के संबंध में नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराधों के लिए दोषी हैं।
- यदि फर्म लगातार सरकार को पर्याप्त कारणों के बिना बकाया भुगतान करने के लिए मना कर रही है।

11.0 फर्म का प्रतिबंध/निलंबन

- फर्म को एक विशिष्ट अवधि के लिए व्यापार में निपटने के लिए कदाचार की गंभीरता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- फर्म को एक विशिष्ट अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है जब व्यापार करने के लिए कई आदेश कार्यान्वयन के लिए लंबित है तथा सुविधाओं में कमी रिश्वतखोरी में शामिल भ्रष्टाचार, अनैतिक तरीके जैसे कार्टेल के गठन आदि ।

12.0 श्रेणी की वृद्धि या समूह/वर्ग के व्यापार बढ़ने के लिए अनुरोध –

फर्म के नवीकरण के समय ही अनुरोध का समाधान किया जाएगा बशर्ते कि अनुरोध के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

13.0 पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध -

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध तभी स्वीकार किए जाएंगे जब किराया रसीद, नए पते में लीज डीड, नए पते पर बिक्री कर प्रमाणपत्र, बिजली/टेलीफोन बिल और एन.एस.आई.सी.प्रमाणपत्र(लघु उद्योग इकाई के लिए) इस तरह के आवश्यक दस्तावेज नोटरी द्वारा विधिवत् साक्षांकित और सही पाए जाएंगे।

14.0 फर्म की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अनुरोध -

आम तौर पर निम्नलिखित प्रकार के अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं -

i) स्वामित्व साझेदारी में बदलाव और इसी समान का कार्य -

ii) लिमिटेड कंपनी से स्वामित्व/साझेदारी में बदलाव और इसी समान का कार्य या पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड

iii) इस रेलवे के साथ पंजीकृत फर्म का दूसरे फर्म के साथ विलय।

iv) इस रेलवे के साथ पंजीकृत फर्म द्वारा फर्म का अधिग्रहण।

v) फर्म के नाम में बदलाव।

v) साझेदारी में बदलाव अर्थात सेवानिवृत्त या नए भागीदारों का एसोसिएशन।

अनुरोध तभी स्वीकार किए जाएंगे जब फार्म 'ए' के साथ साझेदारी डीड, आर्टिकल तथा एसोसिएशन ज्ञापन, करार डीड, त्रिपक्षीय करार, संकल्प और बिक्री कर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, अनुरोध के अनुसार प्रस्तुत नई व्यवस्था के अनुसार एन.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करने पर अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। परिवर्तन होने से पहले विधि अधिकारी द्वारा कानूनी दस्तावेजों को पुनरीक्षित किया जाएगा।

15.0 दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले फर्म को कारण बताओ नोटिस विधिवत कारण का उल्लेख करते हुए, उत्तर के लिए पर्याप्त समय की अनुमति जारी की जाएगी। उत्तर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई का फैसला किया जा सकता है।

16.0 बिक्री निविदा के लिए फर्म का पंजीकरण.

क्षेत्रीय रेलों पर स्क्रैप उत्पन्न की तुलना में कोंकण रेलवे पर उत्पन्न होने वाली स्क्रैप बहुत कम है।

इसलिए वर्तमान में स्क्रैप निपटान की बिक्री टेंडर के माध्यम से ही की जाती है। जो विक्रेता स्क्रैप सामग्री खरीदने में रुचि रखते हैं/बिक्री निविदा में भाग लेना चाहते हैं वे स्वयं को कोंकण रेलवे के साथ पंजीकृत कर लें इसके लिए सामग्री प्रबंधन विभाग बेलापुर में अपने लेटरहेड पर प्रारूप (बी) के अनुसार विवरण देते हुए आवेदन करें जो (www.konkanrailway.com) वेबसाइट पर डाउनलोडेबल रूप में उपलब्ध है। फर्म द्वारा स्पष्ट रूप से जिस व्यापार समूह/मद के लिए पंजीकरण किया है उसे दर्शाएं।पंजीकृत डाक द्वारा हार्ड कॉपी के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रू.1000/[1] (गैर वापसीयोग्य) का पंजीकरण शुल्क "एफ.ए.एंड.सी.ए.ओ./कोंकण रेलवे, बेलापुर, नवी मुंबई" के नाम भेजा जाए।

पंजीकरण शुल्क के साथ हार्ड कॉपी की प्राप्ति होने के बाद अनुरोध की जांच की जाएगी। यदि अनुरोध माना जाता है तो खरीदारों की अनुमोदित सूची (सी मत नि वदा पैनल) के साथ 2 साल की प्रारं भक वैधता मौद्रिक सीमा सहित मदों की सूची/व्यापार समूह जिसके लए पंजीकरण की स्वीकृती दी गई है का नाम सम्मि लत कया जाएगा।
पंजीकरण प्र क्रया आम तौर पर 3 महीने की अव ध के भीतर पूरी की जाएगी बशर्ते पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16.1 खरीद के लए वक्रेता पंजीकरण के लए जो उल्ले खत कया गया है वह नवीकरण की प्र क्रया और अन्य दंडात्मक कार्रवाई को समान होगा।

17.0 संपर्क पता

कोंकण रेलवे के साथ पंजीकरण के लए कृपया आप इनसे संपर्क करें:

| (1) | (2) |
|---|---|
| उप. मुख्य सामग्री प्रबंधक (इंलेक्ट) | उप. मुख्य सामग्री प्रबंधक (स.) |
| कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ल मटेड<br>सामग्री प्रबंधन वभाग<br>रायगड भवन, 8 वी मंजिल<br>सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर<br>नवी मुंबई - 400 614 | कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ल मटेड<br>सामग्री प्रबंधन वभाग<br>रायगड भवन, 8 वी मंजिल<br>सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर<br>नवी मुंबई - 400 614 |
| दूरभाष 022-27587389<br>मो□नं. 9004470397 | दूरभाष 022-27587381<br>मो□नं. 9004470496 |
| ई-मेल-dycmm.jesudass@krcl.co.in | ई-मेल-dy.cmm.neela@krcl.co.in |

भंडार नियंत्रक
कोंकण रेलवे करपोरेशन ल मटेड

i) प्रारूप ए
ii) प्रारूप बी
iii) पंजीकरण के लए फॉ्रमेट का अनुरोध